छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल

ऑफिस कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, ब्लॉक–A एकात्म पथ, सेक्टर–24 अटल नगर, रायपुर (छ0ग0)
ईमेल– secretaryboc@gmail.com, phone No. 0771-2971063

क्रमांक / 69 / 04 / योजना / बीओसी / 2022 / 6300 अटल नगर, दिनांक 01/02/23

प्रति,

समस्त,
सहायक श्रमायुक्त / श्रम पदाधिकारी,
छत्तीसगढ़

विषयः— नियोजक प्रमाण पत्र के संबंध में।

संदर्भः— 1. कार्यालयीन आदेश क्र. / 69 / 04 / योजना / बीओसी / 2022 / 320 दिनांक 30.09.2022 एवं पत्र क्रमांक 4700 दिनांक 09.11.2022
2. छ0ग0 शासन श्रम विभाग मंत्रालय महानदी भवन नवा रायपुर का पत्र क्रमांक 188 / 148 / 2023 / 16 दिनांक 25.01.2023

———000———

विषयांतर्गत संदर्भित आदेश एवं पत्र के संबंध में लेख है कि "भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा–शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996" की धारा 12 (1) एवं "सहपठित" "छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा–शर्त का विनियमन) नियम 2008" के नियम, 272 (1)(ख) के तहत् निर्माण श्रमिकों का हिताधिकारी के रूप में पंजीयन हेतु श्रमिक द्वारा पूर्ववर्ती एक वर्ष के दौरान कम से कम 90 दिवस के लिए भवन कर्मकार के रूप में कार्य किए जाने के आशय का प्रमाण पत्र अथवा नियोजक प्रमाण पत्र लिया जाना प्रावधानित किया गया था जिसमें नियोजक प्रमाण पत्र प्रारूप में "**नियोजक का भवन एवं सन्निर्माण कर्मकार अधिनियम, 1996 अंतर्गत पंजीयन क्रमांक......... दिनांक..............**" को विलोपित किया गया है।

उपरोक्त संबंध में शासन से प्राप्त निर्देशवत "भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा–शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996" की धारा 12 (1) एवं "सहपठित" "छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा–शर्त का विनियमन) नियम 2008" के नियम, 272 (1)(ख) के तहत् निर्माण श्रमिकों का हिताधिकारी के रूप में पंजीयन / पंजीयन नवकरण / योजना आवेदन हेतु संलग्न अनुसार संशोधित नियोजक प्रामण पत्र प्रारूप निर्धारित करता है।

अतः संलग्न नियोजक प्रामण पत्र अनुरूप जिले में प्राप्त प्रकरणों का निराकरण किया जाना सुनिश्चित् करें।

संलग्नः—उपरोक्तानुसार
(सचिव द्वारा अनुमोदित)

(लेखाधिकारी)
कृते सचिव
छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण
कर्मकार कल्याण मंडल, अटल नगर

पृ0क्रमांक/69/04/योजना/बीओसी/2022/6301-6309 अटल नगर, दिनांक 01/02/23

प्रतिलिपि :–

1. विशेष सहायक, माननीय श्रम मंत्रीजी, छ0ग0 शासन, श्रम विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, (छ0ग0)।
2. निज सहायक, माननीय अध्यक्ष, छ0ग0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल ऑफिस कॉम्पलेक्स, प्रथम तल, ब्लाक –A, एकात्म पथ, सेक्टर–24, अटल नगर नवा रायपुर (छ0ग0)।
3. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, (छ0ग0)।
4. श्रमायुक्त, कार्यालय श्रमायुक्त छत्तीसगढ़, इंद्रावती भवन, द्वितीय तल, खण्ड–03, नवा रायपुर, अटल नगर, (छ0ग0)।
5. प्रभारी अधिकारी, छ0ग0 असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मण्डल, इंद्रावती भवन, द्वितीय तल, खण्ड–03, नवा रायपुर, अटल नगर, (छ0ग0)।
6. कल्याण आयुक्त, छ0ग0 श्रम कल्याण मंडल, प्रवीण भवन 31/520, न्यू शांति नगर, रायपुर (छ0ग0)।
7. समस्त, जिला कलेक्टर, ...(छ0ग0)।
8. लेखा शाखा, छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल नवा रायपुर, अटल नगर, (छ0ग0)।
9. एन0आई0सी0 शाखा बीओसी मुख्यालय की ओर सूचनार्थ एवं विभागीय वेब पोर्टल पर अपलोड किए जाने के संबंध में आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित्।

कृते सचिव

छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण

कर्मकार कल्याण मंडल, अटल नगर

छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण नियम, 2008 के अंतर्गत ट्रेड यूनियन या निरीक्षक द्वारा प्रमाणित करने की दशा में

नियोजन का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि, श्री/श्रीमती/कु ....
पिता/पति ....ग्राम ....पो. ....
जिला– .... (छ.ग.) का निवासी है, जिनका मो.नं. .... है, जो संस्थान .... में .... दिनों से .... पद पर कार्यरत् रहा/रही है।

नियोजक का नाम व पता का विवरण निम्नानुसार है:–

ठेकेदार/नियोजक का नाम .... पिता/पति.................................
पूर्ण पता .... नियोजक का मो.न. ....
दिनांक ....

ट्रेड यनियन का नाम एवं
हस्ताक्षर करने वाले का नाम
(पदमुद्रा सहित)

श्रम निरीक्षक का नाम
(पदमुद्रा सहित)

छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण नियम, 2008 के अंतर्गत

नियोजन का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि, श्री/श्रीमती/कु...
पिता/पति ....ग्राम ....पो. ....
जिला– .... (छ.ग.) का निवासी है, जिनका मो.नं. .... है,
जो संस्थान .... में .... दिनों से ....
पद पर कार्यरत् रहा/रही है।

नियोजक का नाम व पता का विवरण निम्नानुसार हैः–

ठेकेदार/नियोजक का नाम .... पिता/पति.................................
पूर्ण पता .... नियोजक का मो.न. ....
दिनांक ....

ट्रेड यनियन/नियोजक/संस्थान /ठेकेदार
का नाम व हस्ताक्षर
(पदमुद्रा सहित)

छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल

ऑफिस कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, ब्लॉक–A एकात्म पथ, सेक्टर–24 अटल नगर, रायपुर (छ0ग0)
ईमेल– secretaryboc@gmail.com, phone No. 0771-2971063

क्रमांक / 69 / 04 / योजना / बीओसी / 2022 / 4700 अटल नगर, दिनांक 09/11/2022

प्रति,

समस्त,
सहायक श्रमायुक्त / श्रम पदाधिकारी,
छत्तीसगढ़

विषयः– नियोजक प्रमाण पत्र के संबंध में।

संदर्भः– कार्यालयीन आदेश क्रमांक / 69 / 04 / योजना / बीओसी / 2022 / 320 दिनांक 30.09.2022

——000——

विषयांतर्गत संदर्भानुसार "भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा–शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996" की धारा 12 (1) एवं "सहपठित" "छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा–शर्त का विनियमन) नियम 2008" के नियम, 272 (1)(ख) के तहत् निर्माण श्रमिकों का हिताधिकारी के रूप में पंजीयन हेतु श्रमिक द्वारा पूर्ववर्ती एक वर्ष के दौरान कम से कम 90 दिवस के लिए भवन कर्मकार के रूप में कार्य किए जाने के आशय का प्रमाण पत्र अथवा नियोजक प्रमाण पत्र लिया जाना प्रावधानित है। जिसके आशय की पूर्ति किए जाने के उद्देश्य से पंजीकृत निर्माण श्रमिकों से प्रति वर्ष प्रथम बार मंडल अंतर्गत संचालित किसी भी योजना के तहत् आवेदन प्रस्तुत किये जाने पर निर्धारित प्रारूप में नियोजन प्रमाण पत्र लिया जाना अनिवार्य किया गया है। मैदानी जिला श्रम कार्यालयों / ट्रेड यूनियन के प्रतिनिधियों / हितग्राहियों द्वारा समय–समय पर दूरभाष एवं पत्राचार के माध्यम से मंडल द्वारा जारी आदेश के संदर्भ में मार्गदर्शन / जानकारी हेतु संपर्क किया जा रहा है।

अतः उपरोक्त संबंध मे संदर्भित आदेश के साथ जारी नियोजक प्रमाण पत्र प्रारूप के संबंध में निम्नानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करें :–

1. नियोजक प्रमाण पत्र नियोजक / संस्थान / ठेकेदार के माध्यम से जारी किए जाने की स्थिति में जारीकर्ता द्वारा निर्धारित प्रारूप की समस्त जानकारी अंकित किया जाना अनिवार्य होगा।
2. ऐसे संस्थान जहां 10 से कम श्रमिक कार्यरत् हों, उनके द्वारा नियोजक प्रमाण पत्र जारी किए जाने की स्थिति में निर्धारित प्रारूप में पंजीयन क्रमांक / पंजीयन दिनांक / पिता / पति का नाम निरंक अंकित किया जाकर शेष जानकारी अंकित किया जाना अनिवार्य होगा।
3. निर्माण श्रमिक के सत्यापन हेतु ट्रेड यूनियन / मजदूर संघ द्वारा नियोजक प्रमाण पत्र जारी किए जाने की स्थिति में निर्धारित प्रारूप में नियोजक का पंजीयन क्रमांक / पंजीयन दिनांक / पिता / पति का नाम निरंक अंकित कर नियोजक का नाम अनिवार्यतः अंकित जाना होगा किया जाकर शेष जानकारी अंकित किया जाना अनिवार्य होगा एवं हस्ताक्षर स्थल पर ट्रेड यूनियन के नाम के साथ पंजीयन क्रमांक अंकित किया जाना अनिवार्य होगा।

निरंतरित..............................2

4. निर्माण श्रमिक के मृत्यु की स्थिति में मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना एवं विशेष शिक्षा सहायता योजना हेतु मृतक के निमाण श्रमिक होने के सत्यापन हेतु हितग्राही द्वारा पूर्व में प्रेषित् (पंजीयन आवेदन/योजना आवेदन के साथ) नियोजक प्रमाण पत्र के आधार पर संबंधित जिला श्रम निरीक्षक/श्रम उपनिरीक्षक द्वारा नियोजक प्रमाण पत्र जारी किया जावेगा।
5. संबंधित जिला श्रम निरीक्षक/श्रम उपनिरीक्षक द्वारा चावड़ी के श्रमिकों का नियोजन सत्यापन की स्थिति में निर्धारित प्रारूप में पंजीयन क्रमांक/पंजीयन दिनांक/पिता/पति का नाम निरंक अंकित कर नियोजक का नाम एवं शेष जानकारी अंकित किया जाना अनिवार्य होगा।

संलग्नः—उपरोक्तानुसार

(सविता मिश्रा)
सचिव
छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण
कर्मकार कल्याण मंडल, अटल नगर

पृ0क्रमांक/69/04/योजना/बीओसी/2022/4701 — 09 अटल नगर, दिनांक 09/11/2022

प्रतिलिपि :—

1. विशेष सहायक, माननीय श्रम मंत्रीजी, छ0ग0 शासन, श्रम विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, (छ0ग0)।
2. निज सहायक, माननीय अध्यक्ष, छ0ग0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल ऑफिस कॉम्पलेक्स, प्रथम तल, ब्लाक —A, एकात्म पथ, सेक्टर—24, अटल नगर नवा रायपुर (छ0ग0)।
3. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, (छ0ग0)।
4. श्रमायुक्त, कार्यालय श्रमायुक्त छत्तीसगढ़, इंद्रावती भवन, द्वितीय तल, खण्ड—03, नवा रायपुर, अटल नगर, (छ0ग0)।
5. प्रभारी अधिकारी, छ0ग0 असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मण्डल, इंद्रावती भवन, द्वितीय तल, खण्ड—03, नवा रायपुर, अटल नगर, (छ0ग0)।
6. कल्याण आयुक्त, छ0ग0 श्रम कल्याण मंडल, प्रवीण भवन 31/520, न्यू शांति नगर, रायपुर (छ0ग0)।
7. समस्त, जिला कलेक्टर, ...(छ0ग0)।
8. लेखा शाखा, छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल नवा रायपुर, अटल नगर, (छ0ग0)।
9. एन0आई0सी0 शाखा बीओसी मुख्यालय की ओर सूचनार्थ एवं विभागीय वेब पोर्टल पर अपलोड किए जाने के संबंध में आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित्।

9/11/2022
सचिव
छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण
कर्मकार कल्याण मंडल, अटल नगर

छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल

ऑफिस कॉम्प्लेक्स प्रथम तल ब्लॉक–A एकात्म पथ,सेक्टर–24 अटल नगर, रायपुर (छ0ग0)

ईमेल– secretaryboc@gmail.com, phone No. 0771-2971063

//आदेश//

नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 30/09/2022

क्रमांक/69/04/योजना/बीओसी/2022/320 "भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा–शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996" की धारा 12 (1) एवं "सहपठित" "छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा–शर्त का विनियमन) नियम 2008" के नियम, 272 (1)(ख) के तहत् निर्माण श्रमिकों का हिताधिकारी के रूप में पंजीयन हेतु श्रमिक द्वारा पूर्ववर्ती एक वर्ष के दौरान कम से कम 90 दिवस के लिए भवन कर्मकार के रूप में कार्य किए जाने के आशय का प्रमाण पत्र अथवा नियोजक प्रमाण पत्र लिया जाना प्रावधानित है। वर्तमान में निर्माण श्रमिकों के प्रथम बार पंजीकृत होने (प्रथम 5 वर्ष के लिए) एवं प्रत्येक वर्ष पंजीयन नवकरण होने पर नियोजन प्रमाण पत्र लिया जा रहा है। छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के संचालक मंडल की 16 वीं बैठक दिनांक 04.08.2022 में अधिनियम के आशय की पूर्ति किए जाने के उद्‌देश्य हेतु लिए गए निर्णय के परिपालन में पंजीकृत निर्माण श्रमिकों से प्रति वर्ष प्रथम बार मंडल अंतर्गत संचालित किसी भी योजना के तहत् आवेदन प्रस्तुत किये जाने पर नियोजन प्रमाण पत्र लिया जाना अनिवार्य करता है।

(माननीय अध्यक्ष, महोदय द्वारा अनुमोदित)

30/09/2022

(सविता मिश्रा)
सचिव
छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण
कर्मकार कल्याण मंडल, अटल नगर

पृ0क्रमांक/69/04/योजना/बीओसी/2022/4131-4146 अटल नगर, दिनांक 30/09/22

प्रतिलिपि :–

1. विशेष सहायक, माननीय श्रम मंत्रीजी, छ0ग0 शासन, श्रम विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला–रायपुर (छ0ग0)।
2. निज सहायक, माननीय अध्यक्ष, छ0ग0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल ऑफिस कॉम्पलेक्स, प्रथम तल, ब्लाक –A, एकात्म पथ, सेक्टर–24, अटल नगर नवा रायपुर (छ0ग0)।
3. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, (छ0ग0)।
4. श्रमायुक्त, कार्यालय श्रमायुक्त छत्तीसगढ़, इंद्रावती भवन, द्वितीय तल, खण्ड–03, नवा रायपुर, अटल नगर, (छ0ग0)।

निरंतर..........................2

5. प्रभारी अधिकारी, छ0ग0 असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मण्डल, इंद्रावती भवन, द्वितीय तल, खण्ड–03, नवा रायपुर, अटल नगर, (छ0ग0)।
6. कल्याण आयुक्त, छ0ग0 श्रम कल्याण मंडल, प्रवीण भवन 31/520, न्यू भाांति नगर, रायपुर (छ0ग0)।
7. समस्त जिला कलेक्टर, ...(छ0ग0)।
8. संचालक, संचालनालय, कर्मचारी राज्य बीमा सेवायें इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर जिला–रायपुर (छ0ग0)।
9. संचालक, संचालनालय, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर जिला–रायपुर (छ0ग0)।
10. समस्त जिला कलेक्टर, ...(छ0ग0)।
11. समस्त सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी/सहायक श्रम पदाधिकारी कार्यालय ....(छ0ग0)।
12. समस्त उप संचालक/सहायक संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा कार्यालय ....(छ0ग0)।
13. संचालक, जनसंपर्क संचालनालय, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर की ओर उपरोक्त अधिसूचना जन सामान्य के सूचनार्थ समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशन हेतु।
14. लेखा शाखा, छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल नवा रायपुर, अटल नगर, (छ0ग0)।
15. एन0आई0सी0 शाखा, छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल नवा रायपुर, अटल नगर (छ0ग0) की ओर **तत्काल** वेब साईट में अपलोड करने बाबत्।
16. गार्ड फाईल।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु संप्रेषित्।

26/9/2022

सचिव
छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण
कर्मकार कल्याण मंडल, अटल नगर

छ.ग.भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण नियम, 2008 के अंतर्गत ट्रेड यूनियन या निरीक्षक द्वारा प्रमाणित करने की दशा में

<u>नियोजक प्रमाण पत्र प्रारूप</u>

प्रमाणित किया जाता है कि, श्री/श्रीमती/कु. .... पिता/पति .... ग्राम .... पो. .... जिला – .... (छ.ग.) का निवासी है, जिनका मो.नं. .... है, जो संस्थान .... में .... दिनों से ....पद पर कार्यरत् रहा/रही है।

नियोजक का नाम व पता का विवरण निम्नानुसार हैः–

संविदा श्रमिक अधिनियम, 1970/भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार अधिनियम, 1996 अंतर्गत नियोजक का पंजीयन क्रमांक ....दिनांक ....

ठेकेदार /नियोजक का नाम .... पिता/पति ....

पूर्ण पता .... नियोजक का मो.नं. ....

दिनांक ....

ट्रेड यूनियन का नाम एवं पंजीयन क्रमांक
हस्ताक्षर करने वाले का नाम
(पदमुद्रा सहित)

श्रम निरीक्षक का नाम
(पदमुद्रा सहित)

छ.ग.भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण नियम, 2008 के अंतर्गत

नियोजक प्रमाण पत्र प्रारूप

प्रमाणित किया जाता है कि, श्री / श्रीमती / कु. ....

पिता / पति .... ग्राम .... पो. ....

जिला – .... (छ.ग.) का निवासी है, जिनका मो.नं. .... है,

जो मेरे संस्थान .... में .... दिनों से ....

पद पर कार्यरत् रहा / रही है।

नियोजक का नाम व पता का विवरण निम्नानुसार है:–

संविदा श्रमिक अधिनियम, 1970 / भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार अधिनियम, 1996 अंतर्गत

नियोजक का पंजीयन क्रमांक ....दिनांक ....

ठेकेदार / नियोजक का नाम .... पिता / पति ....

पूर्ण पता .... नियोजक का मो.नं. ....

दिनांक ....

नियोजक / संस्थान / ठेकेदार
का हस्ताक्षर व पदमुद्रा
सहित

छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल

पी 3 सी–244, 245, सेक्टर–27, नया रायपुर (छत्तीसगढ़)

क्रमांक / 2016 / प्रवर्तन / 2201 रायपुर, दिनांक 02/02/2016

प्रति,

समस्त सहायक श्रमायुक्त / श्रम पदाधिकारी /
सहायक श्रम पदाधिकारी
छत्तीसगढ़

विषय :– श्रम संगठनों द्वारा जारी नियोजन प्रमाण पत्र मान्य किये जाने के संबंध में ।

—00—

विषयान्तर्गत् छ0ग0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल की बैठक दिनांक 09.12.2016 में मण्डल के माननीय सदस्यों द्वारा अवगत कराया गया कि श्रम कार्यालयों द्वारा श्रम संगठनों द्वारा जारी नियोजन प्रमाण पत्र मान्य नहीं किया जा रहा है । इस सबंध में विदित हो कि छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्तों का विनयमन) नियम 2008 के नियम 272 (ख) (एक) में स्पष्ट रूप से उल्लेखित है कि "व्यवसाय संघ अधिनियम 1926 के अधीन रजिस्ट्रीकृत भवन कर्मकार सघ द्वारा जारी किया गया एक प्रमाण पत्र, श्रम संगठनों द्वारा जारी नियोजन प्रमाण पत्र भी मान्य किया जावेगा ।

अतः निर्देशित किया जाता है कि उक्त नियम के निर्देशों का पालन करना सुनिश्चित करें ।

(सविता मिश्रा)
सचिव
छ0ग0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण
कर्मकार कल्याण मण्डल, रायपुर

पृ0क0 / बीओसी / प्रर्वतन / 2202–2204 रायपुर, दिनांक 02/02/17

प्रतिलिपिः–

1 अध्यक्ष छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2 प्रमुख सचिव श्रम, छ0ग0 शासन श्रम विभाग की ओर सूचनार्थ प्रेषित
3 श्रमायुक्त सह मुख्य निरीक्षक छत्तीसगढ, नया रायपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित

(सविता मिश्रा)
सचिव
छ0ग0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण
कर्मकार कल्याण मण्डल